संख्या-273/एक-10-2023-33(2)/2021 टी0सी0

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 20 मार्च, 2023

विषयः- एन0डी0एम0ए0 द्वारा प्रायोजित रिजनल डी0आर0आर0 कान्क्लेव में हुये व्यय के भुगतान हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-3971/रा0आ0का0/डी0आर0आर0 कान्क्लेव पत्रा0/2022-23, दिनांक 02.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त कार्यालयं को आपदा प्रबंधन संबंधी तृतीय रीजनल कांनक्लेव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 30 नवम्बर तथा 01 दिसम्बर, 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, के आयोजन पर हुए व्ययों के अवशेष भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वितीय वर्ष 2022-23 में रू0 16,47,840/-(रूपये सोलह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ चालीस मात्र) की धनराशि राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि एन0डी0एम0ए0 से प्राप्त होने पर एस0डी0आर0एफ0 मद में समायोजन किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2023 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय पर लेखा-जोखा रखा जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यांपित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 16,47,840/-(रूपये सोलह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्यां-273(1)/एक-10-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Date:2023.03.20 06:02:34 +05:30

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-20/03/2023

प्रेषण संख्या:- 273
आवंटन आदेश संख्या:- 001-273
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1647840 47940520	1647840 47940520
	योग	वर्तमान प्रगामी	1647840 47940520	1647840 47940520

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह लाख सैंतालीस हजार आठ सौ चालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ उन्नासी लाख चालीस हजार पाँच सौ बीस

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.03.20 06:02:54 +05:30